न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

1. अपील संख्याः 12/2020 निर्णय दिनांकः- 7-5-26
(जीसीएमएस संख्या 2020/00066)

1. शान्ति बैवा शंकरलाल
2. बाबूलाल
3. सीताराम
4. ओमप्रकाश
5. देवकिशन
6. दुर्गा
7. सोना
8. रूखमा
9. ज्ञाना
10. मीरा
11. राधा

पिसरान शंकरलाल जाति सुथार निवासी गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

12. मूलाराम पुत्र गेनाराम जाति सुथार निवासी गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
13. भंवरलाल पुत्र आसुराम जाति सुथार निवासी गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
14. जगदीश पुत्र आसूराम जाति सुथार निवासी गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
15. नेमाराम पुत्र आसूराम जाति सुथार निवासी गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
16. पूनमचंद पुत्र आसूराम जाति सुथार निवासी गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
17. सीताराम पुत्र आसूराम जाति सुथार निवासी गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
18. प्रेमसुख पुत्र आसूराम जाति सुथार निवासी गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
19. सहीराम पुत्र आसूराम जाति सुथार निवासी गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

20. श्रीकिशन पुत्र आसूराम जाति सुथार निवासी गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
21. गौरीशंकर पुत्र आसूराम जाति सुथार निवासी गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
22. केशरदेवी पत्नी आसूराम जाति सुथार निवासी गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. गीता पुत्री स्व. भोमाराम पत्नी श्री मालाराम जाति सुथार निवासी हाल धीरदेसर चोटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. कन्हैयालाल पुत्र गिरधारी जाति सुथार निवासी दुलमेरा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़

—रेस्पोडेन्टस

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 24—02—2020
उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़

उपस्थितः—

1. श्री प्रहलाद जाखड़, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री जयचन्दलाल सारस्वत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मनीष स्वामी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 24—02—2020 जिसके द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी के विरूद्ध दावा डिक्री किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वाके रोही मौजा गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ के खसरा नम्बर 306 तादादी 8.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 322 तादादी 9.52 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 323 तादादी 18.39 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 334 तादादी 9.19 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि अपीलान्टस का खातेदारी रकबा है, अपीलान्टस अपने हिस्सा भूमि पर बदस्तूर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी अपीलान्टस की अपने हिस्सा भूमि में गवार की काश्त की हुई है तथा अपीलान्टस उक्त रकबा को आबाद होकर काश्त कर रहा है। उक्त भूमि के विभाजन हेतु रेस्पोडेन्ट द्वार अधीनस्थ न्यायालय में वाद दायर किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय बिना पत्रावली का अवलोकन किये, बिना अपीलांटस की बहस सुने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश एवं डिकी पारित करने से पूर्व पत्रावली का ध्यान पुर्वक अवलोकन तक नहीं किया क्योंकि अपीलान्टस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए थे उससे स्पष्ट रूप से साबित था कि रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 का वादगत रकबा में किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा कानूनन नहीं बनता है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपना माईन्ड अप्लाई किए, केवल रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 को फायदा पहुंचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश एवं डिकी पारित की है, जिसे किसी भी स्थिति में कायम नहीं रखा जा सकता है, इसलिए इसे निरस्त फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद में 9 तनकीयात कायम की गई। जिसमें से तनकीयात सं. 1 से 5 को साबित करने का भार रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 का था, तथा तनकीयात सं. 6 से 9 को साबित करने का भार अपीलान्टस का था, उपरोक्त तनकीयात सं. 1 से 5 को रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 ने ना तो किसी दस्तावेजी साक्ष्यो से साबित किया और ना ही मौखिक साक्ष्यो से साबित किया इसके विपरीत अपीलान्टस ने अपने जिम्मे तनकीयात सं. 6 ता 9 को दस्तावेजी साक्ष्यो से एवं मौखिक साक्ष्यो से बखुबी साबित किया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इसकी विवेचना करने में कानूनी भूल की है, और अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश एवं डिकी पारित किया है। अपीलान्टस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन किया था कि उक्त वाद पुर्णतयाः मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि रेस्पोन्डेन्ट सं. 1

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

के द्वारा उपरोक्त रकबा से सम्बन्धित इन्तकाल आदेश दिनांक 10.07.1964 के विरूद्ध अपील सन् 1978 में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी रतनगढ के यहां प्रस्तुत की गई थी जो दिनांक 11.03.1981 को खारिज कर दी गई यानि कि उक्त रकबा में रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 का कोई हक व हिस्सा अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं माना था तत्पश्चात रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 करीब 30 वर्ष पश्चात उक्त वाद प्रस्तुत किया गया था जसे स्पष्टतया: मियाद बाहर था व है तथा इसकी जानकारी रेस्पोन्डोन्ट सं. 1 को शुरू से ही थी यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निर्विवाद साबित था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इसको नहीं मानने का कोई कारण अपने निर्णय में नहीं लिखा और केवल रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 के प्रभाव में आकर गैर कानूनी तरीके से अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री पारित की है। अपीलान्टस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भी निवेदन किया था कि उक्त प्रकरण में धारा 11 सी पी सी के मुताबिक रेसज्युडिकेटा का सिद्वान्त लागू होता है, और उसको बखूबी साबित भी किया था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इसके सम्बन्ध में अपने निर्णय में एक शब्द तक नहीं लिखा और आनन फानन में रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 को फायदा पहुंचाने की नियत से अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भी स्पष्ट रूप् से साबित था कि वादगत रकबा में रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है, यह अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में भी लिखा है कि स्व. भोमाराम ने वादीनी के जन्म से पूर्व ही अपना हक व हिस्सा स्व. हीरा व स्व. गैना को नगद राशि प्राप्त कर हक त्याग चुका है। इससे भी स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने नियम व कानून को ताक पर रख कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। उपरोक्त रकबा पर रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 का कभी कोई कब्जा काश्त न तो था और ना ही है, इसलिए रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 को वाद प्रस्तुत करने का भी कोई कानुनी अधिकार नहीं था क्योंकि रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 ने स्वय ही माना है कि वह धीरदेसर चोटियान में निवास कर रही है, इससे भी साबित होता है कि वादगत रकबा पर रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस और कतई गौर नहीं किया और अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर गैर कानूनी तरीके से निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भी साबित था कि वादगत रकबा का खाता विभाजन होकर इन्तकाल सं. 10 दिनांक 07.08.2008 से अपीलान्टस के नाम से अलग अलग दर्ज हो चुका है तथा अपने अपने हिस्से पर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलान्टस एवं रेस्पोन्डेन्ट सं. 2 काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा अपीलान्टस ने अपने हिस्से भी भूमि पर ट्यूबवैल बनाया हुआ है, विधुत कनेक्शन भी अपीलान्टस के नाम से लिया हुआ है तथा पक्का मकान बना कर परिवार सहित आबाद होकर काश्त करते आ रहे है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस और कतई गौर नहीं किया और बिना कब्जा काश्त की जांच किए, बिना रेकार्ड का अवलोकन किए, केवल रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 को फायदा पहुंचाने की नियत से अपीलाधीन निर्णय व डिकी पारित की है। रेस्पोडेन्ट का वादग्रस्त आराजी से किसी प्रकार का कोई लेना–देना नही है केवल मात्र अपीलाटस को तंग व परेशान करने की नियत से सारी कार्यवाही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कब्जे संबंधी कोई जॉच नही की, ना ही मौका रिपोर्ट ली गई, और एक खातेदार के खिलाफ गैरकानूनी तरीके से नियमो के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलांटस की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड़ अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ दिनांक 24–02–2020 निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलांटस ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2022(1) पेज 41, आरआरटी 2022(1) पेज 699, आरआरटी 2024(2) पेज 764, आरआरटी 2022(2) पेज 1184, आरआरटी 2022(2) पेज 1373, आरआरटी 2024(1) पेज 555, आरआरटी 2024(1) पेज 496, आरआरटी 2024(1) पेज 73, आरएलडब्ल्यु 2006 (1) पेज 569, आरएलडब्ल्यु पेज 1312 प्रस्तुत किये।

4. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने जवाब बहस करते हुए कथन किया कि वादीनी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गीता द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 188, 88 89 आरटीए का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद हेतु आवश्यक प्रकियाओ का पालन करते हुए पूर्ण साक्ष्य, सबूतो के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए प्राथमिक डिकी जारी की गई। उक्त प्राथमिक डिकी के विरूद्ध अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की है।

उन्होने आगे कथन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट एक ही परिवार के लोग है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट के दादा स्व. बालूराम के नाम रही है। स्व. बालूराम जी के तीन लड़के कमक हीराराम, गैनाराम तथा भोमाराम

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्व. भोमाराम की पुत्री है जिसका उक्त वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा निहित है जिसकी घोषणा बाबत दावा पेश किया गया है। वादीनी/रेस्पोडेन्ट के पिता व माता का वर्ष 1962 में ही देहान्त हो गया तब वादीनी/रेस्पोडेन्ट मौजूद थी। रेस्पोडन्ट के चाचा/ताउ हीराराम, व गैनाराम द्वारा रेस्पोडेन्ट के पिता को लाऔलाद फौत बताकर रेस्पोडेन्ट के पिता का हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा लिया। हीराराम व गेनाराम द्वारा रेस्पोडेन्ट के 1/3 हिस्से को अपने नाम करवा लिया। रेस्पोडेन्ट के ताउ हीराराम के फौत होने के बाद उसकी पत्नी खेमी के नाम 1/2 हिस्सा गलत रूप से दर्ज हुआ तथा खेमी द्वारा अपना 1/2 हिस्सा की गलत वसीयत रेस्पो. संख्या 2 के पक्ष में कर दी गई। रेस्पोडेन्ट शादी के बाद अपने ससुराल में रहने लगी लेकिन रेस्पोडेन्ट अपनी 1/3 हिस्से की पैतृक कृषि भूमि के खेतो को समय समय पर काश्त करती चली आ रही है। अपीलांटस द्वारा भी यह तथ्य स्वीकृत किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गीता भोमाराम की पुत्री है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दावा जो 3 लोगो के बयान हुए है उसमें भी गीता को भोमाराम की पुत्री माना है। वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट का हक व हिस्सा जन्म से ही पुश्तैनी आधार पर हिन्दू उतराधिकार कानून के मुताबिक बनता है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने 1/3 हिस्से की घोषणा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड करवाने बाबत दावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उभय पक्ष हाजिर आने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कुल 8 तनकीयात कायम की गई जिसमें 5 तनकीयो को साबित करने का भार वादीनी पर रखा तथा 3 तनकीयों को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर रखा गया। वाद में गवाहान की जिरह करवाई गई। गवाहान द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गीता को भोमराम की पुत्री माना। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया, प्रस्ततु न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 88, 89 आरटीएक्ट का प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में अपने 1/3 हिस्से की घोषणा करवाने बाबत प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को समन जारी किये गये। प्रतिवादीगण द्वारा पत्रावली मे जवाब दावा पेश किया। उक्त जवाब दावा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निम्नाकिंत तनकीयात कायम की गई–

1. आया वादिनी वादगत खेत खसरा नम्बर 306, 322, 323, व 334 वाके रोही गोपालसर तहसील श्री डूंगरगढ में 1/3 हिस्सा संयुक्त रूप से पुश्तैनी हकुकों के आधार पर बहैसियत संयुक्त खातेदार कोटिनेंट व कोसेरर घोषित कराने एवं तद्नुसार खातेदार रिकार्ड को दुरूस्त कराने की अधिकारिणी है? जिम्मेवादिनी
2. आया वादिनी वादगत खेतों का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस खाता विभाजन करवाने एवं तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अलग से वादिनी के नाम अंकन कराने की अधिकारिणी है? जिम्मे वादिनी
3. आया वादिनी का 1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त है? जिम्मे वादिनी
4. आया वादगत भूमि वादिनी की पैतृक भूमि है? जिम्मे वादिनी
5. आया वादिनी वादपत्र में वर्णितानुसार प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारिणी है? जिम्मे वादिनी
6. आया वादिनी का वादग्रस्त खेतो में कोई कब्जा काश्त नही है? जिम्मे प्रतिवादी
7. आया वादिनी का वाद मियाद बाहर है? जिम्मे प्रतिवादीगण
8. आया वादिनी का वाद गलत तथ्यो पर आधारित होने के कारण खारिज योग्य है? जिम्मे प्रतिवादी

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादिनी ने अपने समर्थन में 11 दस्तावेज प्रदर्श करवाये तथा 2 व्यक्तियों के साक्ष्य लिये गये इसके विपरीत प्रतिवादी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श नही करवाया तथा 8 व्यक्तियों के साक्ष्य करवाये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्येक तनकी का पृथक–पृथक विवेचन करते हुए साक्ष्यो व गवाहो के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में निम्नकिंत उज्र उठाये है–

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

ए– वादिनी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के जिम्मे रखी गई तनकीयो में वादिनी/रेस्पोडेन्ट द्वारा किसी दस्तावेजी साक्ष्यो से साबित नही किया।

बी– रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा मियाद बाहर पेश किया है।

सी– वादिनी के पिता स्व. भोमाराम द्वारा अपने हिस्से के बदले में नकद प्रतिफल राशि पूर्व में ही प्राप्त कर ली थी।

डी– रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रश्नगत आराजी पर कब्जा काश्त नही रहा है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन व प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि वादिनी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने दावे के समर्थन में कुल 11 दस्तावेजी साक्ष्य व 2 गवाहन के शपथ पत्र प्रदर्श करवाये गये। इन दस्तावेजो के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकीयात कायम की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 ता 5 को साबित करने का भार वादिनी पर रखा। जिस पर वादिनी द्वारा इन दस्तोजी साक्ष्यो के आधार पर तनकी संख्या 1 ता 5 भार सिद्ध किया।

वादिनी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में घोषणात्मक वाद पेश करने बाबत कोई मियाद तय नही की गई है। इसलिए अपीलांट की यह आपत्ति की वादिनी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा मियाद बाहर पेश किया है। खारिज योग्य है।

अपीलांट ने यह उज्र उठाया है कि वादिनी/रेस्पोडेन्ट के पिता द्वारा अपने हिस्से बाबत नकद प्रतिफल राशि प्राप्त करली है। इस संबंध में इस पत्रावली पर अथवा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह साबित होता हो कि वादिनी के पिता भोमाराम द्वारा अपनी भूमि के बदले नकद प्रतिफल राशि प्राप्त कर ली गई है।

अपीलांट द्वारा अपनी अपील में कथन किया है कि प्रश्नगत आराजी पर वादिनी/रेस्पोडेन्ट का कभी कब्जा नही रहा है। अपीलांट द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपने समर्थन में किसी प्रकार की मौका रिपोर्ट या ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है जिससे अपीलांट के कथनो का समर्थन होता हो। इसके विपरीत वादिनी द्वारा अपने साक्ष्य पी.डब्ल्यु–1 द्वारा अपने शपथ पत्र में यह कथन किया गया है कि वादिनी अपने पैतृक खेतो को समय समय पर काश्त करती आ रही है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूरे प्रकरण में विवाद का बिन्दू यह था कि क्या रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी गीता प्रश्नगत भूमि में 1/3 हिस्से की अधिकारी है अथवा नही?

प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलाधीन भूमि बालूराम के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। यह तथ्य भी निर्विवाद है कि बालूराम की 3 संताने हीराराम, गेनाराम व भोमाराम थे। इस स्थिति में बालूराम की भूमि 1/3–1/3 बहिस्सा बराबर दर्ज होनी थी जबकि बालूराम की भूमि केवल हीराराम व गेनाराम के 1/2–1/2 हिस्सा दर्ज की गई। प्रतिवादी संख्या 1 के लिखित बयान व गवाहो के बयानात से अधीनस्थ न्यायालय में यह तथ्य भी साबित हुआ कि भोमाराम की मृत्यु के समय गीता (रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादीनी) जीवित पुत्री थी। इस सूरत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शो के आधार पर प्रत्येक तनकी पर तार्किक विवेचन करते हुए पृथक–पृथक तनकीवार निर्णय पारित करते हुए अपीलाधीन आदेश जारी किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। अतः इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त दस्तावेजो व साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की गई है।

प्रकरण में चूंकि पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त भूमि के बाबत् अंतिम डिक्री जारी होना शेष है, ऐसी स्थिति में यदि अपीलांट को कोई आपत्ति विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त होती है तो अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय को इस संबंध में निर्देश दिये जाने उचित पाते है कि यदि अपीलांट् द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तो विभाजन की अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व वादीगण/अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निस्तारण करते हुए विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24–02–2020 यथावत बहाल रखा जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 7-5-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

डिकरी ब सीगे अपील

(ऑ. 41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'G' 9)

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम बीकानेर
बइजलास उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

शान्ति बनाम गीता
अपील संख्या 12/2020

बनाराजगी निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़
मुवर्खे 24–02–2020

यह अपील ब–तारीख 07–05–2026 रूबरू हमारी, बहाजरी श्री अभिभाषक अपीलांट्स श्री प्रहलाद जाखड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्टस श्री जयचन्दलाल सारस्वत पेश होकर हुक्म हुआ। जिसके अनुसार अपीलांट्स की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–02–2020 यथावत बहाल रखा गया।

(खर्चा अपील हाजा का हल्व तफ्सीस जेरे तादादी मुबलिग .....–.....) रूपयें अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .....–..... अदा करें।

बशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 7 माह मई सन् 2026 को जारी किया गया।

मुहर

हस्ताक्षर राजस्व अपील प्राधिकारी,
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू.	पै.	रेस्पोडेन्ट	रू.	य पै.
1. स्टाम्प अपील..... 2. स्टाम्प वकालतनामा .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत् ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालतनामा..... 2. अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील ..... मीजान		